ायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

ासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
स्व प्रार्थना पत्र संख्या : 2664/2016
:MS NO. : 2016/00331

–:: प्रार्थीगण ::– बनाम –:: अप्रार्थीगण ::–

1. भंवरू पुत्र धनसिंह
2. केशा पुत्र धनसिंह
3. मैना पुत्र धनसिंह
4. मगा पुत्र धनसिंह
5. गहरीदेवी पत्नी पाबू
6. बुधीदेवी पुत्री पाबू
जातियान– रावत, निवासीगण– बसी चैनपुरा(सेवरिया), तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान,

बनाम

1. मांगू पुत्र नाथाजी
2. राधा पत्नी नगजी
3. हुकमसिंह पुत्र नगजी
4. कुशालसिंह पुत्र नगजी
5. रामसुख पुत्र नगजी
जातियान– रावत, निवासीगण– बसी चैनपुरा(सेवरिया) तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।
6. उपपंजीयन अधिकारी, तहसील– जैतारण
7. तहसीलदार, जैतारण, तहसील– जैतारण
8. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, जिला– पाली राजस्थान।

ाजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी धिनियम, 1955

तारीख रजू: 17/09/2020

ास्थितः–

1. श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः 28/12/2021

वकील मय प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत ारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश ज्या कि सायलान संख्या 1 से 6 व गैरसायल संख्या 1 से 5 संयुक्त हिन्दु परिवार ; सदस्यगण है, सायलान एवं गैरसायल संख्या 1 से 5 जाति से रावत है, और न्म से ही हिन्दु है, तथा सायलान व गैरसायल संख्या– 1 से 5 सुयक्त साझा हिन्दु रिवार के सदस्य है. इस हिन्दू परिवार के कर्त्ता सायलान के दादा नाथाजी थे, यह ;न्दु विधि से प्रशासित है तथा हिन्दु को पारसब्री की सम्पति विधि अनुसार रही है, क्त जमीन सम्पति सयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक होने के कारण पीढी दर पीढी ायुक्त हिन्दु परिवार के सभी सदर्स्यो के नाम चली आ रही है, जिसमें जन्म से ही ायलान का स्वामित्व अधिकार उत्पन्न हो गया। उक्त संयुक्त हिन्दू प[illegible] पैतृक म्पति में सायलान का गैरसायल संख्या 1 से 5 के साथ बराबर [illegible] हक ाधिकार है। सायलान एवं गैरसायल संख्या– 1 से 5 [illegible] ;, इस संयुक्त हिन्दु परिवार की सरहद मौजा– सेवरिया, पटवार हल्का सेवरिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास, तहसील– जैतारण, जिला– पाली (रा[illegible]ान) में नेम्नानुसार कृषि भूमि आई हुई हैः खाता संख्या खसरा नम्बर रकबा नया/पुराना 347/344 खसरा नम्बर 366 रकबा 27–17 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 621 रकबा 04–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 622 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

10 बीघा किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 641 रकबा 26-13 बीघा किस्म- दोयम, कुल खसरा 04 कुल रकबा 70-10 है। उपरोक्त खसरा नम्बरान की न की जमाबन्दी की नकले बाद व प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है, जिसे व प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग समझा जावे उपरोक्त खसरा नम्बरान की न संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक जायदाद है, सायलान उक्त सयुक्त हिन्दु परिवार सदस्य होने के कारण उपरोक्त पुश्तैनी जायदाद के हर एक इंच की जमीन पर बर बराबर का हक अधिकार है, उसी अनुसार सायलान मौके पर काबिज होकर त करते आ रहे है। सायलान के दादा नाथाजी का देहान्त होने पर पटवारी हल्का द्वारा बिना जांच किये ही गलती व सवरण भूल से गैरसायलान के नाम मान्तकरण भर दिया गया, तथा गैरसायलान का नाम राजस्व रेकर्ड दर्ज कर सायल संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व शेष गैरसायलान का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड दर्ज कर दिया गया, नाथाजी सायलान के दादा लगते थे, तथा उक्त जमीन संयुक्त न्दु परिवार की सामलाती जमीन है, जिस पर सायलान व उनके पिता का भी हक धिकार बनता है, जबकि गलती व भूल से सायलान व उनके पिता का नाम राजस्व र्ड में दर्ज नहीं किया गया, उक्त खातेदारी जमीन में सायलान का 1/3 हिस्सा, रसायल संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व शेष गैरसायलान संख्या 2 से 5 का 1/3 स्सा आता है, उक्त हिस्से अनुसार ही नामान्तकरण भरा जाना चाहिये था, लेकिन लती व भूल से सायला का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया गया, इसलिये ायलान अपने नाम का खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतू यह घोषणा का वाद ाननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। सायलान को राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के इन्द्राज की जानकारी नही थी, गैरसायलान ने दिनांक 05.08.2016 को सायलान को धमकी दी कि वे उक्त सम्पूर्ण जमीन को बैचान बक्शीश कर देगे, उक्त जमीन हमारे नाम से ही है, तब सायलान द्वारा दिनांक- 09.08.2016 को राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी की नकल अपनी जमीन पर लौन लेने हेतू प्राप्त की, तब सायलान को जानकारी हुई कि उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है, तब सायलान ने पटवारी हल्का रास से सम्पर्क किया तथा सायलान का नाम राजस्व रेकर्ड में डालने हेतू कहाँ, तो पटवारीजी ने मना कर दिया, तथा कह० कि न्यायालय से आदेश लेकर आओ, इस कारण से यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है। सायलान का नाम राजस्व रेकर्ड में नहीं होने से गैरसायलान संख्या 1 से 5 अपने राजस्व रेकर्ड में नाम का नाजायज फायदा उठाकर उक्त संयुक्त हिन्दु परिवार की जायदाद का बिना संयुक्त हिन्दु परिवार की जायज जरूरत व बिना संयुक्त हिन्दु परिवार की अनुमति के बैचान बक्शीश व हस्तान्तरण करने पर आमादा है, तथा सायलान को कब्जे से बेदखल करने पर उतारू है, इसलिये सायलान की ओर से स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक निषेधाज्ञा का वाद विरुद्ध गैरसायलान के प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है। गैरसायल संख्या 1 से 5 अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर उक्त खसरा नम्बरान की वाद ग्रस्त जमीन का बैचान बक्शीश करने पर उतारू है, इसी बदनियति से गैरसायलान ने दिनांक- 05.08.2016 को सायलान को धमकी दी कि वे उक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की जमीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

बैचान, बक्शीश कर देंगे, तथा सायलान को उक्त संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति महरुम कर देगे, अगर गैरसायल संख्या 1 से 5 द्वारा कानून को हाथ में लेकर संयुक्त हिन्दु परिवार की जमीन का बैचान बक्शीश कर देते, तो सायलान को ीम क्षति व भारी नुकसान होगा, जिसकी क्षति पूर्ति किसी तरह सम्भव नही होगी, सायलान को अपने हितो व अधिकारों से वंचित होना पडेगा तथा सायलान के वार के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। सायलान के पास माननीय न्यायालय शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं होने से सायलान अपने हितो व धेकारों की सुरक्षा हेतू यह वाद घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा का लाफ गैरसायलान के माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। जिसके साथ यह स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है। गैरसायलान संख्या- 7, व 8 राज्य सरकार के अधिकारीगण है, जिनके विरुद्ध बाद पेश करने से पूर्व रा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन नोटिस देने व सकी अवधि समाप्त होने तक गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जायेगे, क गैरसायल संख्या 1 से 5 राजस्व रेकर्ड में अपने नाम का नाजायज फायदा ठाकर उक्त संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति का बैचान बक्शीश कर देगे, जिससे ायलान को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा, तथा सायलान को अपने हितो व धिकारों से वंचित होना पड़ेगा। इसलिये वाद व प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रकृति का होने के कारण बिना नोटिस दिये ही श्रीमानजी से अनुमति लेकर वाद पेश किया जा रहा है, अनुमति प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 एक में र्णित खातेदारी जमीन मे सायलान करा 1/3 हिस्सा आता है तथा उक्त हिस्से अनुसार ही मौके पर सायलान काबिज है, तथा उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं, लेकिन गलती से सायलान का नाम राजस्व रेकर्ड इन्द्राज नहीं किया गया है। अगर गैरसायल संख्या 1 से 5 द्वारा कानून को हाथ में लेकर उक्त संयुक्त हिन्दु परिवार की जमीन का बैचान बक्शीश कर देते, तो सायलान को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा, जिसकी क्षति पूर्ति किसी तरह सम्भव नही होगी, तथा सायलान को अपने हितो व अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा, तथा सायलान के परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। स्थितियो परिस्थितियो दस्तावेजात व कब्जे के आधार पर सायलान के पक्ष में बहुत ही मजबूत प्रथम दृष्ट्या मामला बनना पाया जाता है, तथा सुविधा का सन्तुलन हर सूरत में सायलान के पक्ष में है, सायलान को उक्त बाद में सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है, उक्त मूल बाद के निस्तारण में अभी समय लगेगा, तब तक सायलान के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि [illegible] निषेधाज्ञा सायलान के पक्ष में व गैरसायलान के विरुद्ध इस आशय की जारी फरमावे कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 दो में वर्णित सायलान व गैरसायल संख्या 1 से 5 की संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक जमीन के किसी भू भाग का किसी अन्य को हस्तान्तरण, बन्धक, दान बैचान आदि नही करे, और ना ही उक्त जमीन पर लौन इत्यादि लेवे, इसके लिये गैरसायलान स्वयं व उसके परिवार के सदस्यगण नौकर चाकर हाली ऐजेन्ट इत्यादि को ताफैसला दावा के पाबन्द फरमावे तथा गैरसायल संख्या- 6 व 7 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे कि अगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

यलान द्वारा कोई बैचान दस्तावेज, या हस्तान्तरण दस्तावेज पेश करने पर उसका न नही करे, ताफैसला दावा के पाबन्द फरमावे अन्य कोई सहायता हो तो गान के पक्ष में जारी फरमावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को । नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश किया , जो सामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण को जवाब प्रार्थनापत्र पेश करनें के कानेक एवं पर्याप्त अवसर देनें के बावजूद जवाब प्रार्थनापत्र पेश नहीं करनें से के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

बहस उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 स्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन या और विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुए संगत विधिक धानें का अवलोकन किया। हम प्रकरण का बिंदूवार निम्नानुसार विवेचन एवं र्णयन करना आवश्यक समझते हैः-

प्रथम दृष्ट्या मामला :- प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा में थन किया है कि प्रार्थीगण के पिता धनसिंह, अप्रार्थी संख्या 1 मांगू तथा अप्रार्थी ख्या 03 से 5 के पिता तथा अप्रार्थी संख्या 02 के पति नगजी परस्पर भाई है था नाथा की संतान है। वादग्रस्त आराजी नाथा की खातेदारी आराजी रही है जो र्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त अविभाजित पैतृक संपत्ति है जिस पर नाथा की त्यु उपरांत नाथा की सभी वारिसान का समान हक व अधिकार था लेकिन नाथा की ौत पर फौतदगी नामान्तरण केवल मांगू और नगजी के पक्ष में ही स्वीकृत किया या तथा प्रार्थीगण के पिता धनसिंह का नाम विधि विरुद्ध रुप से छोड़ दिया गया। अतः प्रार्थीगण द्वारा अपने हक हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया जो जैरकार है तथा दौराने विचारण प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करें दौराने बहस निवदेन किया है कि वादग्रस्त आराजी में से खसरा संख्या 366 रकबा 27-17 बीघा पैतृक आराजी है, जिसके सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन खसरा संख्या 621, 622 व 641 की भूमि अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के पिता व अप्रार्थी संख्या 02 के पति नगजी द्वारा जारी पंजीकृत बैचाननामा क्रय की गई थी, जो पुश्तैनी नहीं होकर अप्रार्थीगण की अर्जित आराजी है। जिस पर इनका कोई हक अधिकार नहीं है।

हमनें पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख [illegible] किया। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2030 के अनुसार ग्राम [illegible] खसरा संख्या 366 का रकबा 27-17 बीघा नाथा वल्द [illegible] के बतौर खातेदारी दर्ज है, लेकिन अन्य खसरान् की आराजी पैतृक पुश्तैनी [illegible] के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। अतः मूल वादपत्र के मुख्य अनुतोष पर गुणावगुण के आधार पर कोई टिप्पणी किये बिना हमारा विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी में से खसरा संख्या 366 के सम्बन्ध में प्रथम

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bi
Date: 2022.01.24 18:31:05 IS
Reason: SelfAttested

मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनना साबित होता है लेकिन अन्य खसरान् : 621, 622 व 641 के सम्बन्ध प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन :- चूंकि पूर्व विवेचन बिन्दु संख्या 01 प्रार्थीगण के पक्ष में संख्या 366 रकबा 27-17 बीघा के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला स्थापित है, अतः सुविधा का संतुलन भी इसी सीमा तक एवं इसी अनुरूप प्रार्थीगण के में स्थापित एवं साबित होता है।

अपूर्णनीय क्षति :- चुंकि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के पैतृक पुश्तैनी होने के धार पर वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है। लेकिन खसरा संख्या 6 के अलावा अन्य खसरान् के सम्बन्ध कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। साथ बिन्दु संख्या 01 व 02 खसरा नम्बर 366 की सीमा तक ही प्रार्थीगण के पक्ष साबित हुये है। अतः यह बिन्दु भी इसी सीमा तक प्रार्थीगण के पक्ष में स्थापित साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर अंततः हमारा यह ष्ट एवं विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का तुलन तथा अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में खसरा संख्या 366 रकबा 7-17 बीघा की सीमा तक ही साबित होता है, अतः हम हस्तगत वादपत्र के स्तारण तक अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 366 रकबा 27-17 ीघा के भू अभिलेख की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं करनें, तथा रहन बैचान व स्तान्तरण नहीं करनें हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक विधि संगत एवं उचित समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता हैं। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी ग्राम- आनन्दपुरा कालू चक प्रथम पटवार हल्का आनन्दपुरा कालू चक प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा संख्या 366 रकबा 27-17 बीघा किस्म बारानी अव्वल की सीमा तक अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन, रहन बैचान व हस्तान्तरण इत्यादि नहीं करें। पत्रावली इसी कद्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2022.01.24 18:31:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनाँक 28/12/2021 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)